ए.

गुरजित सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 1492-1493) 26 नवंबर, 2019

बी.

[नवीन सिन्हा और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:s.498-A-दहेज की मांग के कारण क्रूरता और उत्पीड़न-अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि मृतक को पैसे की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान किया गया था और इस तरह का उत्पीड़न उसके और उसके माता-पिता द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण था-इस प्रकार, एस के स्पष्टीकरण (बी) के तहत आरोप।498-ए साबित हुआ।

सी.

दंड संहिता, 1860:एसएस।306, 498-ए-क्या जब अभियोजन पक्ष ने एस के स्पष्टीकरण (बी) के तहत क्रूरता स्थापित की।498-ए और यह भी स्थापित किया कि मृतक ने शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर ली, आरोपी को एस के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है।306 एस की सहायता से।113-साक्ष्य अधिनियम का ए-आयोजित:केवल इसलिए कि एक अभियुक्त एस के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है।498-ए और शादी के सात साल की अवधि के भीतर हुई मृत्यु, अभियुक्त को एस के तहत दंडनीय अपराध के लिए स्वचालित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।306 एस के तहत अनुमान को नियोजित करके।113-साक्ष्य अधिनियम का ए-जब तक कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं करता है कि आरोपी द्वारा किसी कार्य या अवैध चूक ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया है, एस के तहत दोषसिद्धि।306 यह मान्य नहीं होगा-हालाँकि अभियोजन पक्ष एस के तहत मामले को साबित करने में सफल है।498-ए, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह स्थापित करने में विफल रहा कि आरोपी के किसी भी कार्य या चूक ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया-यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि मृतक के आत्महत्या करने से तुरंत पहले आरोपी द्वारा मृतक के साथ क्रूरता की गई थी, जिसके कारण

मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था-रिकॉर्ड पर साक्ष्य ने आगे दिखाया कि अवैध मांग के संबंध में मृतक की उसके माता-पिता से पिछली मुलाकात और आत्महत्या करने की तारीख के बीच का समय अंतराल लगभग दो महीने था-इस तरह, वहाँ था

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

232 ए.

233

गुर्जर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए

आत्महत्या करने और अपीलार्थी द्वारा की गई अवैध मांग के बीच निकट संबंध दिखाने के लिए कुछ भी नहीं-इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें एस के तहत दोषसिद्धि होती है।306 इस न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया था, भले ही आरोप केवल एस के तहत था।304 बी, यह पाया गया कि उन मामलों में आरोप विशेष रूप से कहा गया था कि मृतक को मृतक के साथ क्रूरता के कारण आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था-हालाँकि, तत्काल मामले में, आरोप में यह नहीं कहा गया था कि मृतक को उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था-इसमें यह उल्लेख नहीं था कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था-इसलिए, एस के तहत दोषसिद्धि।498-ए को एस के तहत बनाए रखा जाता है और दृढ़ विश्वास किया जाता है।306 एक अपास्त करना गया है-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - s.113-A।

बी.

सी.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** मृतक के पिता पीडब्लू**-10** के साक्ष्य ने पीडब्लू**-13** द्वारा कुछ हद तक पुष्टि की कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम था कि मृतक को किसी भी संपत्ति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान किया गया था।उक्त साक्ष्य के आधार पर**,** अभियोजन पक्ष ने आई**.** पी**.**

सी. की धारा **498-**ए के स्पष्टीकरण **(**बी**)** के तहत आरोप साबित किया। **[**पैरा **11] [240-**ई**-**एफ**]**

डी.

2. केवल इसलिए कि एक आरोपी को आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **498-**ए के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है और शादी के सात साल की अवधि के भीतर मौत हो गई है**,** इसलिए आरोपी को साक्ष्य अधिनियम की धारा **113-**ए के तहत अनुमान लगाते हुए आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376** के तहत दंडनीय अपराध के लिए स्वचालित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जब तक अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं करता है कि आरोपी द्वारा किए गए किसी कार्य या अवैध चूक ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया है**,** तब तक धारा **305** के तहत दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी।**[**पैरा **27] [249-**ई**-**एफ**]**

ई.

एफ.

3. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जिससे मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि मृतक के आत्महत्या करने से पहले**,** आरोपी द्वारा मृतक के साथ क्रूरता की गई थी**,** जिसके कारण मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।अभिलेख पर साक्ष्य ने आगे दिखाया कि बीच का समय अंतराल

जी.

एच.

अवैध मांग और आत्महत्या करने की तारीख के संबंध में मृतक की अपने माता**-**पिता से आखिरी मुलाकात लगभग दो महीने की थी।इस प्रकार**,** यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं था कि आत्महत्या करने और अपीलार्थी द्वारा की गई अवैध मांग के बीच एक निकट संबंध था।**[**पारस **33-34] [251-B-D]**

बी.

4. एक अन्य पहलू यह है कि जिन मामलों में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आई**.** पी**.** सी**.** की धारा**306** के तहत दोषसिद्धि मान्य थी**,** हालांकि आरोप केवल आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304-**बी के तहत था**,** यह पाया गया कि आरोप में विशेष रूप से कहा गया था कि मृतक को क्रूरता के कारण आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था।हालाँकि**,** वर्तमान मामले में**,** आरोप में यह नहीं कहा गया है कि मृतक को उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के

लिए प्रेरित किया गया था।इसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था।आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **498-**ए के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है और आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376** के तहत दोषसिद्धि को अपास्त करना दिया जाता है। अपीलार्थी को आई**.** पी**.** सी**.** की धारा**306** के तहत आरोप से बरी कर दिया जाता है। **[**पारस **35-37] [251-F; 252-B-C]**

सी.

डी.

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जैसवाल **(1994) 1** एससीसी **73;** हंस राज बनाम हरियाणा राज्य **(2004) 12** एससीसी

257 :[2004] 2 एससीआर 678; मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य (2014) 12 एससीसी 595:[2014] 4 एससीआर 988-पर निर्भर था।

ई.

के. प्रेमा एस. राव और अन्न बनामयादला श्रीनिवास राव और

ओआरएस। (2003) 1 एससीसी 217:[2002] 3 पूरक।एससीआर 339;

मोदीनसब कासिमसब कांचागर बनाम कर्नाटक राज्य

एफ.

& एन. आर. (2013) 4 एससीसी 551:[2013] 2 एससीआर 357; थानू

राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2010) 10** एससीसी **353:[2010] 12** एस**.** सी**.** आर**. 710;** सतीश शेट्टी बनाम स्टेट ऑफ

कर्नाटक (2016) 12 एससीसी 759:[2016] 3 एससीआर 145-प्रतिष्ठित।

जी.

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **(2001) 9** एससीसी

618 :[2001] 4 पूरक।एससीआर 247; पिनाकिन महिपत्रेय रावल बनाम गुजरात राज्य (2013) 10 एससीसी 48:[2013]

10 एस**.** सी**.** आर**. 307;** नरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य

(2011) 2 एससीसी 47:[2011] 1 एस. सी. आर. 110; संजू उपनाम ए

एच.

गुर्जर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए

संजय सिंह सेंगर बनाम एमपी राज्य **(2002) 5** एससीसी

371 :[2002] 3 एस**.** सी**.** आर**. 668-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2001] 4 पूरक।पैरा **13 (1994) 1** एस**.** सी**.** सी**. 73** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 247**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **17 [2002] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 339** विशिष्ट पैरा **18** पैरा **20**

बी.

[2004] 2 एससीआर **678**

पर भरोसा किया गया **|**

[2013] 10 एस**.** सी**.** आर**. 305**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

सी.

[2014] 4 एससीआर **988**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **25 [2013] 2** एस**.** सी**.** आर**. 357** विशिष्ट पैरा **29 [2010] 12** एस**.** सी**.** आर**. 710** विशिष्ट पैरा **30 [2016] 3** एस**.** सी**.** आर**. 145** विशिष्ट पैरा **31 [2011] 1** एस**.** सी**.** आर**. 110** पैरा **32 [2002] 3** एस**.** सी**.** आर**. 668** पैरा **34** को संदर्भित

डी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2010 की आपराधिक अपील सं. 1492-1493।

ई.

सी. आर. एल. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 20.02.2009 के निर्णय और आदेश से। 2001 का ए. सं. 5440 डी. बी. ए. और सी. आर. एल. 2000 का ए. सं. 959-एस. बी.

राजेश्वर सिंह ठाकुर, निर्मल सिंह, दिनेश वर्मा, सुभाशीष भौमिक, यश पाल ढींगरा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एफ.

सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.**

जी.

1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2001 की आपराधिक अपील संख्या 544-डी. बी. ए. और 2000 की आपराधिक अपील संख्या 959-एस. बी. में पारित दिनांक 1 के फैसले और आदेश को चुनौती देती हैं।अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 3), जो मृतक का पति है, सहित सभी चार अभियुक्त थे।

एच.

भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) की धारा 304-बी और धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित और मुकदमा चलाया गया।अन्य अभियुक्त अपीलार्थी के पिता (अभियुक्त संख्या 1), माँ (अभियुक्त संख्या 2) और साली (भाई की पत्नी) (अभियुक्त संख्या 4) थे।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, होशियारपुर ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी संख्या 1 से 3 के खिलाफ मामले को साबित करने में सफल रहा है, लेकिन आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए उक्त आरोपी (संख्या 1,2 और 3) के खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा है। जहाँ तक अभियुक्त संख्या 4 का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष दोनों अपराधों के लिए उसके खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा है और तदनुसार उसे आरोपित अपराध से बरी कर दिया गया।इसलिए विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी और उसके पिता और माता को आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई। 4, 000/- प्रत्येक और जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन महीने की अवधि के लिए सश्रम कारावास से गुजरना होगा।

बी.

सी.

डी.

2. आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी ने अपने माता-पिता के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील (2000 की आपराधिक अपील No.959-SB) को प्राथमिकता दी।इसी प्रकार, राज्य ने एक अपील (2001 की आपराधिक अपील होने के नाते) को प्राथमिकता दी, जो आदेश के उस हिस्से से व्यथित थी, जिसके द्वारा निचली अदालत ने आरोपी संख्या 4 को बरी कर दिया और आरोपी संख्या 1,2 और 3 को भी आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत न्यायालयनीय अपराध के लिए बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत न्यायालयनीय अपराध के लिए आरोपी संख्या 1,2 और 3 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इसने अभियुक्त संख्या 4 के बरी होने के फैसले को भी बरकरार रखा और आगे कहा कि यद्यपि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत मामले को नहीं ला सका, लेकिन इसमें अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत न्यायालयनीय अपराध के लिए न्यायालयित होने के लिए उत्तरदायी था। उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत न्यायालयनीय अपराध के लिए निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा दर्ज सजा और जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा। आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध के लिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को पांच साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 5, 000/- और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, आगे पांच महीने की अवधि के लिए सश्रम कारावास से गुजरना होगा।इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपीलों को अपीलार्थी द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

237

गुर्जर सिंह बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

3. अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की विद्वान दोषसिद्धि मान्य नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोषसिद्धि केवल पीडब्लू-10-मृतक के

पिता बिशन सिंह के साक्ष्य के आधार पर है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में आई. पी. सी. की धारा306 के तहत दोषसिद्धि मान्य नहीं है।यह तर्क दिया जाता है कि आरोप आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए था, जिसके तत्व आई. पी. सी. की धारा306 के अवयवों से पूरी तरह से अलग हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार अपीलार्थी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक के पिता, पीडब्लू-10 ने कहा है कि मुकदमे के दौरान भी, अपीलार्थी मृतक के पिता के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक शर्तों पर था और इस तरह अप्राकृतिक मानव आचरण उसकी गवाही को बदनाम करेगा।4. इसके विपरीत, श्रीमती। राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता जसप्रित गोगिया ने कहा कि जहां तक आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, चूंकि एक समवर्ती निष्कर्ष है, इसलिए किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आई. पी. सी. की धारा 304-बी और धारा 376 के तत्व लगभग समान हैं, इसलिए अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषी ठहराकर कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था, हालांकि इसके लिए कोई आरोप नहीं बनाया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ए की सहायता से धारा 376 के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक सभी सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित की गई थी और इस तरह वर्तमान अपीलों में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

5. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि हालाँकि अपीलार्थी ने शादी की तारीख 04.02.1989 होने पर विवाद किया है, लेकिन दोनों अदालतों ने उस पर विश्वास नहीं किया है और यह सही भी है।मृतक की मृत्यु 28.09.1994 पर जहर खाकर एक अप्राकृतिक मृत्यु हो गई।इस प्रकार, अप्राकृतिक मृत्यु विवाह के सात साल की अवधि के भीतर हुई।विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया है क्योंकि अभियोजन पक्ष दहेज की मांग को साबित करने में विफल रहा है, जबकि उसे आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए माता-पिता के साथ दोषी ठहराया है। उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दोषसिद्धि को विद्वान रखा, हालांकि, उसने अपीलार्थी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ए की सहायता से आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया।

एफ.

जी.

एच.

6. जिस सवाल का हमें जवाब देना है, वह यह है कि क्या आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत पहली बार दर्ज की गई दोषसिद्धि टिकाऊ होगी या नहीं।

7. आई. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधान जो विचार के लिए आते हैं, वे इस प्रकार हैं:

बी.

"107. किसी चीज़ को बढ़ावा देना-एक व्यक्ति किसी चीज़ को करने में मदद करता है, जो -

सबसे पहले।—किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है; या

दूसरा।—उस कार्य को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न है, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या

सी.

तीसरी बात।—जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से उस कार्य को करने में सहायता करता है।

डी.

स्पष्टीकरण 1.—एक व्यक्ति, जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी काम को करने का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या करने का प्रयास करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे उस काम को करने के लिए उकसाया जाता है।

ई.

स्पष्टीकरण 2.—कहा जाता है कि जो कोई भी, किसी अधिनियम के लागू होने से पहले या उसके समय, उस अधिनियम के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ भी करता है और इस तरह उसके लागू होने को सुविधाजनक बनाता है, वह उस अधिनियम को करने में सहायता करता है।

XXX

एफ.

306. आत्महत्या के लिए उकसाना।—यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

जी.

XXX

498-A. पति या किसी ओमान के पति का रिश्तेदार

उसे क्रूरता के अधीन करना।— जो कोई भी, किसी महिला के पति या पति का रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला को क्रूरता के अधीन करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो -

एच.

239

गुर्जर सिंह बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

तीन साल तक बढ़ाया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" का अर्थ है-(ए) कोई ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरा पैदा करता है; या (बी) महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी संबंधित व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से है या उसके या उसके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है।”8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का प्रासंगिक प्रावधान, जिस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, निम्नानुसार हैः

बी.

सी.

“ 113-A. किसी विवाहित द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में धारणा

महिला।—जब यह प्रश्न किया जाता है कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा उकसाया गया था और यह दिखाया जाता है कि उसने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली थी

और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया था, तो न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा की गई थी।स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" का वही अर्थ होगा जो आई. पी. सी. की धारा 498 ए (1860 का 45) में है।]"

डी.

ई.

9. पीडब्लू-10 के साक्ष्य-मृतक के पिता बिशन सिंह के अवलोकन से यह स्थापित होगा कि मृतक, जसविंदर कौर की शादी 04.02.1989 पर अपीलार्थी से हुई थी।उनकी बेटी के दो मुद्दे थे।घटना के समय बड़ा चार साल का था और बेटा लगभग डेढ़ साल का था।उन्होंने कहा कि शादी के बाद आरोपी उनकी बेटी को कम दहेज देने के लिए परेशान कर रहे थे।वर्ष 1992 में, उन्होंने अपनी बेटी को एक स्टील की अलमारी दी थी, लेकिन आरोपी दहेज की वस्तु से संतुष्ट नहीं थे।मार्च 1993 में उन्होंने अपने दामाद जगतर सिंह के माध्यम से मिलिट्री कैंटीन से एक फ्रिज रुपये में खरीदा था। 6, 600/-, जो अभियुक्त व्यक्तियों को दिया गया था।तब भी आरोपी संतुष्ट नहीं थे।आरोपी उसकी बेटी जसविंदर कौर पर रुपये लाने के लिए दबाव बना रहे थे। 50, 000/- उसके माता-पिता से।उन्होंने आगे कहा कि आरोपी गुस्से में उनकी बेटी को रुपये लाने के लिए मजबूर कर रहे थे। 50, 000/- नकद में, क्योंकि उन्हें होशियारपुर में एक भूखंड खरीदना था।वह.

एफ.

जी.

एच.

उन्होंने आगे कहा कि दो-तीन मौकों पर उनकी बेटी उनके गाँव खराल कलां आई और उन्होंने उनसे रु। 50, 000/- उस समय उसके साथ नहीं थे और धान की फसल बेचने के बाद वह उस राशि का भुगतान कर सकता है।उन्होंने कहा कि इसके बाद, अपनी बेटी को सांत्वना देने के बाद, उन्होंने उसे उसके ससुराल भेज दिया।उन्होंने आगे कहा कि 28.09.1994 पर जब वह अपने घर में थे, तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है।यह संदेह करते हुए कि उसकी बेटी को जहर दिया गया था या उसने जहर खा लिया था, उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

बी.

10. कुछ हद तक, पीडब्लू-10 के साक्ष्य की पुष्टि पीडब्लू-13-इकबाल सिंह के साक्ष्य से होती है।उन्होंने कहा है कि घटना से पहले, यानी मृतक की मृत्यु पर आरोपी व्यक्तियों और मृतक, जसविंदर कौर के बीच रुपये के रूप में विवाद था। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक के माता-पिता से भूखंड खरीदने के लिए 50,000/- की मांग की जा रही थी।उन्होंने आगे कहा कि मृतक के माता-पिता रुपये का भुगतान नहीं कर सके। 50, 000/- और धान की फसल बेचने के बाद उसी का भुगतान करने का वादा किया।उन्होंने आगे कहा कि रुपये की मांग से पहले। 50, 000/-, एक रेफ्रिजरेटर और एक अलमारी अभियुक्त व्यक्तियों को मृतक के माता-पिता द्वारा उनकी मांग पर दी गई थी और यह शादी के समय दिए गए दहेज के अलावा था।

सी.

डी.

11. इस प्रकार पीडब्लू-10 के साक्ष्य से, जिसकी पीडब्लू-13 द्वारा कुछ हद तक पुष्टि की गई है, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि मृतक को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से परेशान किया गया था या ऐसा उत्पीड़न उसके या उसके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण था।हम पाते हैं कि उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 498-ए के स्पष्टीकरण (बी) के तहत आरोप साबित कर दिया है।

ई.

एफ.

12. अब जो सवाल विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या जब अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 498-ए के स्पष्टीकरण (बी) के तहत क्रूरता स्थापित करता है और यह भी स्थापित करता है कि मृतक ने शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर ली, तो क्या आरोपी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की सहायता से आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है।

जी.

13. उक्त प्रश्न रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 1 के मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया।यह न्यायालय, के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद

1 (2001) 9 एससीसी 618 ए

एच.

आई. पी. सी. की धारा 376 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ए ने इस प्रकार कहाः

“12. यह प्रावधान आपराधिक कानून (दूसरा) संशोधन अधिनियम, 1983 द्वारा प्रस्तुत किया गया था ताकि सबूत की कठिनाई को हल करने के लिए एक सामाजिक मांग को पूरा किया जा सके जहां असहाय विवाहित महिलाओं को पति या ससुराल वालों द्वारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था और आपराधिक साक्ष्य आमतौर पर वैवाहिक घर के चारों कोनों के भीतर उपलब्ध थे और इसलिए घर के रहने वालों के बाहर किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, अभी भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस धारणा का उद्देश्य आपराधिक कानून के क्षेत्र में अभियुक्त के खिलाफ काम करना है।अनुमान लगाने से पहले, इसकी नींव मौजूद होनी चाहिए।धारा 113-ए के खाली पढ़ने से पता चलता है कि धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि (i) महिला ने आत्महत्या कर ली है, (ii) ऐसी आत्महत्या उसकी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर की गई है, (iii) पति या उसके रिश्तेदार, जिन पर आरोप लगाया गया है, ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया था।उपर्युक्त परिस्थितियों के अस्तित्व और उपलब्धता पर, न्यायालय यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदारों द्वारा की गई थी।संसद ने सावधानी बरतने का फैसला किया है।सबसे पहले, अनुमान अनिवार्य नहीं है; यह केवल अनुमेय है जैसा कि अभिव्यक्ति "हो सकता है" के प्रयोग से पता चलता है।दूसरा, उपर्युक्त तीन परिस्थितियों का अस्तित्व और उपलब्धता, एक सूत्र की तरह, अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होगी; अनुमान लगाने से पहले न्यायालय को "मामले की अन्य सभी परिस्थितियों" को ध्यान में रखना होगा।मामले की अन्य सभी परिस्थितियों पर विचार करने से अनुमान मजबूत हो सकता है या न्यायालय की अंतरात्मा को अनुमान लगाने से बचने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।धारा 113-ए में उपयोग की गई अभिव्यक्ति-"मामले की अन्य परिस्थितियाँ" एक अनुमान लगाने के उद्देश्य से क्रूरता और आत्महत्या के बीच एक कारण और प्रभाव संबंध तक पहुंचने की आवश्यकता का सुझाव देती है।अंतिम लेकिन कम से कम, यह धारणा निर्विवाद नहीं है।एक अनुमान लगाए जाने के बावजूद बचाव में प्रस्तुत साक्ष्य या अन्यथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्य और परिस्थितियाँ इस धारणा को नष्ट कर सकती हैं।धारा 113-ए में प्रयुक्त वाक्यांश "अनुमान लगा सकता है" को साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

जिसमें कहा गया है-"जब भी इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य का अनुमान लगा सकती है, तो वह या तो ऐसे तथ्य को साबित मान सकती है, जब तक कि इसे गलत साबित नहीं किया जाता है, या इसके प्रमाण की मांग कर सकती है।

13. वर्तमान मामला वह नहीं है जो दंड संहिता, 1860 की धारा 107 के खंड द्वितीय और तृतीय के तहत आ सकता है।मामले का निर्णय पहले खंड के संदर्भ में किया जाना है अर्थात क्या अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाकर आत्महत्या के लिए उकसाया था।"

बी.

(जोर दिया गया) 14.इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता हैः

सी.

((i) महिला ने आत्महत्या कर ली है।

((ii) ऐसी आत्महत्या उसकी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर की गई है।

डी.

(iii) पति या उसके रिश्तेदारों, जिन पर आरोप लगाया गया है, ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया था।

15. इस न्यायालय ने आगे कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों के अस्तित्व और उपलब्धता पर, न्यायालय यह मान सकता है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदारों द्वारा की गई थी।यह माना गया है कि अनुमान अनिवार्य नहीं है; लेकिन केवल अनुमेय है जैसा कि शब्द "मान सकते हैं" से पता चलता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि उपरोक्त तीन

परिस्थितियों का अस्तित्व और उपलब्धता, एक सूत्र की तरह, अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होगी।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई अनुमान लगाने से पहले, न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मामले की अन्य सभी परिस्थितियों पर विचार करने से धारणा मजबूत हो सकती है या न्यायालय की अंतरात्मा को अनुमान लगाने से बचने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।इस प्रकार इसने देखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मामले की अन्य परिस्थितियाँ" एक अनुमान लगाने के उद्देश्य से क्रूरता और आत्महत्या के बीच एक कारण और प्रभाव संबंध तक पहुंचने की आवश्यकता का सुझाव देती है।16. यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब मामला आई. पी. सी. की धारा 107 के खंड द्वितीय और तृतीय के अंतर्गत नहीं आता है, तो मामले का निर्णय पहले खंड के संदर्भ में किया जाना है, अर्थात, क्या अभियुक्त-ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

243

गुर्जर सिंह बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

अपीलार्थी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाकर आत्महत्या के लिए उकसाया।रमेश कुमार (उपर्युक्त) में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना आगे प्रासंगिक होगाः“20. उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या "एक कार्य" करने के लिए प्रोत्साहित करना है।उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए।फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए।वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की थीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस मामले में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था।वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोले गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है।

बी.

सी.

21. राज्य में डब्ल्यू. बी. बनाम.ओरिलाल जयसवाल, (1994) 1 एस. सी. सी. 73, इस न्यायालय ने आगाह किया है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और

मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्य का आकलन करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़ित के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था।यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि आत्महत्या करने वाला कोई पीड़ित सामान्य कलह, कलह और घरेलू जीवन में मतभेदों के प्रति अतिसंवेदनशील था जो उस समाज के लिए काफी सामान्य है जिससे पीड़ित संबंधित था और इस तरह के कलह, कलह और मतभेदों से किसी दिए गए समाज में इसी तरह की परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं थी, तो न्यायालय की अंतरात्मा को इस निष्कर्ष के आधार पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध को उकसाने के आरोपी को दोषी पाया जाना चाहिए।22. आई. पी. सी. की धारा 498-ए और आई. पी. सी. की धाराएं स्वतंत्र हैं और अलग-अलग अपराधों का गठन करती हैं।यद्यपि, एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, एक महिला को क्रूरता के अधीन करना धारा 498-ए के तहत अपराध के बराबर हो सकता है और यह भी हो सकता है कि यदि क्रूरता के समान आचरण स्थापित हो जाता है तो महिला के लिए आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, तो यह आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर है।हालांकि, केवल इसलिए कि एक आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दंडित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसी साक्ष्य पर उसे भी और

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

आवश्यक रूप से संबंधित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जाए।

(जोर दिया गया) 17.न्यायालय ने कहा कि उकसाना "एक कार्य" करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना है।हालांकि न्यायालय ने कहा कि उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए।हालाँकि, यह देखा गया है

कि परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। फैसले पर भरोसा

बी.

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जयसवाल 2 के मामले में इस न्यायालय का, यह

सी.

यह देखा गया है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्य का आकलन करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए और धारा 376 स्वतंत्र हैं और अलग-अलग अपराधों का गठन करती हैं।यह देखा गया है कि किसी व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, किसी महिला के साथ क्रूरता करना आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत अपराध हो सकता है। यह भी देखा गया है कि यदि क्रूरता के समान आचरण स्थापित किया जाता है और महिला के लिए आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, तो यह आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर भी हो सकता है।हालाँकि, यह आगे देखा गया है कि केवल इसलिए कि आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दंडित किया जाना चाहिए था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसी साक्ष्य पर उसे संबंधित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का भी दोषी ठहराया जाना चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

18. के**.** के मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ।

प्रेमा एस. राव और अन्र बनामयादला श्रीनिवास राव और अन्य। 3 एक था

इस सवाल पर विचार करने का अवसर कि क्या केवल आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत आरोप तय करने और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप तय नहीं करने की परिस्थितियों में, क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए सहपठित आई. पी. सी. की धारा306 के तहत दोषसिद्धि मान्य हो सकती है?उक्त मामले में, न्यायालय ने पाया कि आरोप विशेष रूप से नीचे उल्लिखित है।

जी.

2 (1994) 1 एससीसी 73 3 (2003) 1 एससीसी 217 ए

एच.

"कि 22 अक्टूबर, 1989 को या उसके आसपास, गम्पालगुडेम मंडल के टुनिकिपाडु में आपके घर पर, आप में से ए-1 की पत्नी और आप में से ए-2 और ए-3 की बहू येडला कृष्ण कुमारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, और आप सभी ने उसे ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया, जिसने उसे एसी निकालने के उद्देश्य से आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। 5.00 ए-1 को दहेज के रूप में भूमि और इस प्रकार भारतीय न्यायालय संहिता, 1860 की धारा 304-बी के तहत और इस अदालत के संज्ञान में न्यायालयनीय अपराध किया।

बी.

या वैकल्पिक रूप से

कि 22 अक्टूबर, 1989 से पहले तुनीकीपाडू में आपके घर पर आपने ए-1 की पत्नी और ए-2 और ए-3 की बहू येडला कृष्ण कुमारी को अपने अधीन कर दिया था।

सी.

ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न ने उक्त कृष्ण को प्रेरित किया

कुमारी ने आत्महत्या कर ली और इस तरह भारतीय न्यायालय संहिता, 1860 की धारा 498-ए के तहत और इस अदालत के संज्ञान में न्यायालयनीय अपराध किया।"

डी.

19. इसलिए न्यायालय ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध का गठन करने के लिए सामग्री पहले से ही आरोप में पाई गई थी और इस तरह से आरोपी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था, हालांकि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत कोई अलग आरोप नहीं बनाया गया था। इसके अलावा, अभिलेख पर साक्ष्य ने स्थापित किया कि जब पति द्वारा छुपाए गए पत्रों को पत्नी को मिला और पिता को सौंप दिया गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, तो पति के इस क्रूर आचरण के कारण पत्नी ने आत्महत्या कर ली।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने पाया कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है।यह पाया गया कि, भूमि के साथ भाग लेने के लिए उत्पीड़न के पहले के कृत्यों के अलावा, जो उसे विवाह में स्त्रीधन के रूप में मिली थी, मृतक को घर से बाहर निकालने का एक कार्य था जिसका आत्महत्या करने वाले मृतक के साथ सीधा संबंध था।

ई.

एफ.

20. इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ को हंस राज बनाम हरियाणा राज्य 4 के मामले में इसी तरह के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था।निम्नलिखित अनुच्छेदों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगाः

जी.

"12. तब यह प्रश्न उठता है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी को दोषी ठहराया जा सकता है -

एच.

4 (2004) 12 एस. सी. सी. 257

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान की सहायता से आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध। आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कोई भी व्यक्ति आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडित किया जा सकता है। आई. पी. सी. की धारा 107 उकसाने के तत्वों को निर्धारित करती है जिसमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाना या किसी काम को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल होना शामिल है, यदि उस साजिश के अनुसरण में और उस काम को करने के लिए कोई कार्य या अवैध चूक होती है, या किसी कार्य द्वारा जानबूझकर सहायता या उस काम को करने में अवैध चूक शामिल है।तत्काल मामले में यह स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि अपीलार्थी ने या तो मृतक को आत्महत्या करने में सहायता की या उकसाया या आत्महत्या करने में उसकी सहायता करने के लिए कोई साजिश रची।प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए पर भरोसा किया है, जिसके तहत न्यायालय उसमें उल्लिखित परिस्थितियों के प्रमाण के आधार पर और मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि आत्महत्या को आरोपी द्वारा उकसाया गया था।धारा 113-ए का स्पष्टीकरण आगे स्पष्ट करता है कि क्रूरता का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए में है।

बी.

सी.

डी.

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के विपरीत, एक वैधानिक अनुमान केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए में उल्लिखित परिस्थितियों के प्रमाण पर कानून के संचालन से उत्पन्न नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत, अभियोजन पक्ष को सबसे पहले यह स्थापित करना है कि संबंधित महिला ने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली और उसके पति (इस मामले में) ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया था।भले ही ये तथ्य स्थापित हो जाएं, लेकिन न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि आत्महत्या के लिए उसके पति को उकसाया गया था।धारा 113-ए न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की धारणा को उठाने का विवेकाधिकार देती है, जिसका अर्थ है कि जहां आरोप क्रूरता का है, उसे आईपीसी की धारा 498-ए में "क्रूरता" शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए क्रूरता की प्रकृति पर विचार करना चाहिए। केवल यह तथ्य कि एक महिला ने अपनी शादी के सात वर्षों के भीतर आत्महत्या कर ली थी और वह अपने पति द्वारा क्रूरता का शिकार हुई थी, स्वचालित रूप से इस धारणा को जन्म नहीं देता है कि आत्महत्या को उसके पति द्वारा उकसाया गया था। न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों पर गौर करने की आवश्यकता है।उन परिस्थितियों में से एक जिस पर विचार किया जाना चाहिए ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

247

गुर्जर सिंह बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

न्यायालय द्वारा यह तय किया जाता है कि क्या कथित क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती थी या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट या खतरा पैदा करती थी।

21. न्यायालय ने पाया कि मामले में यह स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था कि अपीलार्थी ने या तो मृतक को आत्महत्या करने में सहायता की या उकसाया या आत्महत्या करने में उसकी सहायता करने के लिए कोई साजिश रची।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब आरोप क्रूरता का है, तो उसे आई. पी. सी. की धारा 498-ए में "क्रूरता" शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए क्रूरता की प्रकृति पर विचार करना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय द्वारा जिन परिस्थितियों पर विचार किया जाना है, उनमें से एक यह है कि क्या कथित क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकती थी या गंभीर चोट या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती थी।

बी.

सी.

22. हंस राज (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जयसवाल (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया है, जिसमें यह कहा गया है कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के लागू होने के बाद भी उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

डी.

23. निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा

पिनाकिन महिपत्रेय रावल बनाम गुजरात राज्य के मामले में यह न्यायालय **5:**

ई.

"26. धारा 113-ए केवल एक ऐसी धारणा से संबंधित है जिसे न्यायालय किसी विशेष तथ्य स्थिति में निकाल सकता है जो उस प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सामग्री स्थापित होने पर उत्पन्न हो सकती है।दहेज की मांग करते हुए विवाहित महिला को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार या आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने से बचाने की सामाजिक चुनौती का सामना करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन और प्रक्रिया के नियम की आवश्यकता थी।धारा का विधायी अधिदेश यह है कि जब कोई महिला अपने विवाह के सात वर्षों के भीतर आत्महत्या करती है और यह दिखाया जाता है कि उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने आई. पी. सी. की धारा 498-ए में परिभाषित शर्तों के अनुसार उसे क्रूरता का शिकार बनाया था, तो न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या पति या ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है।हालांकि एक अनुमान लगाया जा सकता है, दिखाने के प्रमाण का बोझ

एफ.

जी.

5 (2013) 10 एससीसी 48

एच.

कि अभियुक्त द्वारा आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत ऐसा अपराध किया गया है, अभियोजन पक्ष पर है।तथ्यों पर, हम पहले ही पा चुके हैं कि अभियोजन पक्ष ने उस बोझ का निर्वहन नहीं किया है जिसे ए-1 ने उकसाया था, साजिश रची थी या जानबूझकर सहायता की थी ताकि पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सके या कि कथित विवाहेतर संबंध ऐसी डिग्री का था जो पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता था।

बी.

27. धारा306 आत्महत्या के लिए उकसाने को संदर्भित करती है।इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे 10 साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।आत्महत्या करने की कार्रवाई मानसिक और शारीरिक क्रूरता के कारण होने वाली मानसिक अशांति के कारण भी होती है।धारा 307 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है और आत्महत्या को आरोपी द्वारा उकसाया गया था।अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह स्थापित करना होगा कि मृतक ने आत्महत्या की और आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया।लेकिन कथित विवाहेतर संबंध के लिए, जो अगर साबित हो जाता है, तो अवैध और अनैतिक हो सकता है, अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया है कि आरोपी ने पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, उकसाया या उकसाया था।"

सी.

डी.

24. इस प्रकार यह देखा गया है कि यद्यपि अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन यह दिखाने के लिए कि ऐसा अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है, सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है। अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह स्थापित करना होगा कि आरोपी ने पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, साजिश रची या जानबूझकर सहायता की थी।25. मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य 6 में इस न्यायालय ने टिप्पणी की

ई.

एफ.

इस प्रकारः

"28. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि निचली विचारण न्यायालय ने पाया है कि आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है, लेकिन उसने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया, भले ही आरोपी के खिलाफ उस धारा पर कोई आरोप नहीं बनाया गया था।आई. पी. सी. की धारा306 के दायरे और दायरे की अवर न्यायालयों द्वारा उचित रूप से सराहना नहीं की गई है।.....

जी.

आत्महत्या के लिए उकसाना उन व्यक्तियों के मामले तक सीमित है जो आत्महत्या करने में सहायता करते हैं या उकसाते हैं।अपराध के मामले में

6 (2014) 12 एससीसी 595 ए

एच.

249

गुर्जर सिंह बनाम पंजाब राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत, उकसाने को आई. पी. सी. की धारा 107 में इसकी परिभाषा को आकर्षित करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाने या करने की साजिश में शामिल होने, सहायता करने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को ऐसा करने में सहायता करने से प्रोत्साहन का गठन होता है।आई. पी. सी. की धारा 107 सहपठित धारा 376 के एक स्पष्ट पठन से यह स्पष्ट होगा कि, उकसाने या आत्महत्या के अपराध का पता लगाने के लिए, आवश्यक सबूत यह है कि अपराधी या तो पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा है या आत्महत्या करने के लिए दूसरों के साथ साजिश में शामिल है, या जानबूझकर आत्महत्या करने में किसी कार्य या अवैध चूक से सहायता प्राप्त है।"26. उपरोक्त का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने हंस राज (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि भले ही यह स्थापित हो जाए कि संबंधित महिला ने शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली थी और उसके पति ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया है, लेकिन न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि उसके पति ने आत्महत्या के लिए उकसाया है।मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

बी.

सी.

डी.

27. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि रमेश कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि जब कोई मामला खंड द्वितीय या तृतीय के तहत नहीं आता है, तो इसका निर्णय पहले खंड के संदर्भ में किया जाना चाहिए, अर्थात, क्या अभियुक्त ने जानबूझकर उसे ऐसा करने के लिए उकसाकर आत्महत्या के लिए उकसाया है; इसका लगातार पालन किया गया है।इस प्रकार, हमारा विचार है कि केवल इसलिए कि एक आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है और शादी के सात साल की अवधि के भीतर मृत्यु हो गई है, आरोपी को साक्ष्य

अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान का उपयोग करके आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए स्वचालित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जब तक अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं करता है कि आरोपी द्वारा किए गए किसी कार्य या अवैध चूक ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया है, तब तक धारा 305 के तहत दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी।

ई.

एफ.

28. जहाँ तक के. प्रेमा एस. राव (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था, हम यहाँ पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उक्त मामले में रिकॉर्ड पर यह साबित करने वाले सबूत थे कि आत्महत्या करने से ठीक पहले मृतक को घर से बाहर निकाल दिया गया था।इस प्रकार, यह माना गया कि उक्त क्रूरता आत्महत्या करने के लिए उकसाने के बराबर होगी।

जी.

एच.

29. जहाँ तक मोदीनसब कासिमसब में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है

कांचागर बनाम कर्नाटक राज्य और अन्र। **7** चिंतित है**,** इसमें कोई संदेह नहीं है।

कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उक्त निर्णय पर भरोसा करना उचित है क्योंकि उक्त मामले में दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3,4 और 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए है।हालांकि, उक्त मामले में, आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दोषसिद्धि को इस न्यायालय ने अपास्त करना दिया था।हालाँकि, यह सवाल कि क्या केवल आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत आरोप तय किया गया है, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, उक्त मामले में विचार के लिए नहीं आया।

बी.

30. थानूराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में **8**

सी.

इस न्यायालय ने यह देखते हुए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ए और आई. पी. सी. की धारा 498-ए, 107 और 376 के बीच परस्पर संबंध के कारण, अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 498-ए और धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मामले में अदालत ने मृतक की मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जिसमें उसने कहा कि उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों का व्यवहार किया गया था।उक्त मामले में, मृतक की मृत्यु घोषणा थी जो न्यायालय द्वारा मानी गई थी।उक्त मृत्यु घोषणा की पुष्टि पीडब्लू-13 के साक्ष्य द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर न्यायालय ने माना कि बुरा व्यवहार ऐसा था जिससे उसका आत्महत्या करने का तत्काल इरादा पैदा हुआ।

डी.

ई.

31. सतीश शेट्टी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में **9**

पीड़ित के व्यक्ति पर चोट के निशान पाए गए।हालाँकि, जहर खाने से पहले मृतक और पति एक ही कमरे में एक साथ सोते थे, लेकिन अपीलार्थी-पति ने पीड़ित को लगी चोटों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था।इन परिस्थितियों में, पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज आई. पी. सी. की धारा306 के तहत दोषसिद्धि को इस न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया था।

एफ.

32. जहां तक नरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य **10** के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है**,** यह इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिया गया है और यह रमेश कुमार **(**उपरोक्त**)** मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसले पर विचार नहीं करता है।**.**

जी.

7 (2013) 4 एससीसी 551 8 (2010) 10 एससीसी 353 9 (2016) 12 एससीसी 759 10 (2011) 2 एससीसी 47 ए

एच.

33. वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि यद्यपि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत मामले को साबित करने में सफल रहा है, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी

जिसने मृतक के लिए आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा।अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत दर्ज करने की स्थिति में नहीं है कि आरोपी के किसी भी कार्य या चूक ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि मृतक के आत्महत्या करने से ठीक पहले आरोपी द्वारा मृतक के साथ क्रूरता की गई थी, जिसके कारण मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।हमारा विचार है कि अनुमान लगाने के उद्देश्य से क्रूरता और आत्महत्या के बीच कारण और प्रभाव संबंध तक पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है।34. अभिलेख पर साक्ष्य से आगे यह देखा जा सकता है कि अवैध मांग के संबंध में मृतक की उसके माता-पिता से अंतिम भेंट और आत्महत्या करने की तारीख के बीच का समय अंतराल लगभग दो महीने है।इस प्रकार, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि आत्महत्या करने और अपीलार्थी द्वारा की गई अवैध मांग के बीच निकट संबंध था।संजू उपनाम के मामले में संजय सिंह सेंगर बनाम। एम. पी. 11 की स्थिति इस न्यायालय ने पाया कि आरोपी द्वारा मृतक को 'जाकर मरने' और मृतक को 'आत्महत्या करने' के लिए कहने के बीच 48 घंटे का समय अंतराल था।इस प्रकार, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अभियुक्त ने मृतक द्वारा की गई आत्महत्या को उकसाया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

35. एक अन्य पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि जिन मामलों में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि मान्य थी, हालांकि आरोप केवल आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत था, यह पाया गया कि आरोप में विशेष रूप से कहा गया था कि मृतक को क्रूरता के कारण आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था।हालांकि, वर्तमान मामले में आरोप इस प्रकार हैः

एफ.

“कि आप सभी 28.9.94 पर गाँव बोहन के क्षेत्र में, आपकी पत्नी जसविंदर कौर, आपकी बहू, गुरजित सिंह और आपकी बहू, गुरदियाल सिंह और मोहिंदर कौर और रंजीत कौर की साली की मृत्यु, सामान्य परिस्थितियों के अलावा, आप सभी उसके रिश्तेदार होने के नाते, उसकी शादी के सात साल की अवधि के भीतर, सभी के लिए क्रूरता और उत्पीड़न के अधीन थी।

जी.

11 [(2002) 5 एस. सी. सी. 371]

एच.

दहेज की मांग के संबंध में और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत दंडनीय दहेज मृत्यु का अपराध किया, और मेरे संज्ञान में।"

36. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आरोप में यह नहीं कहा गया है कि मृतक को उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था।इसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था।मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि जिन मामलों में धर्मांतरण को अनुमेय माना जाता है, वे स्पष्ट रूप से अलग हैं।

बी.

37. पूर्वगामी परिस्थितियों में, अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि को अपास्त करना दिया जाता है।अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा306 के तहत आरोप से बरी कर दिया जाता है।

सी.

38. अपीलार्थी के बारे में कहा जाता है कि वह जमानत पर है, उसके जमानत बांड छूट जाएंगे और उसे अपनी सजा की शेष अवधि पूरी करने के लिए चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, यदि वह पहले से ही सजा काट चुका नहीं है।

डी.

देविका गुजराल

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

ई.

एफ.

जी.

एच.